न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 24.05.2023

प्रकरण सख्या: 57 / 23

जीसीएमएस नं. 2023 / 126

1 तेजसिंह पुत्र निनुआ 2 रामप्यारी पत्नि निनुआ 3 हरवीर उर्फ हनवीर पुत्र निनुआ जाति जाट नि. छौकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

––वादीगण

बनाम

1 अमरसिंह पुत्र दौजी 2 दयालोदेवी पत्नि अमृतसिंह 3 राजनवती पत्नि श्यामसिंह 4 रोहताश 5 सुकेश पुत्रान श्यामसिंह जातियान जाट नि. छौकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर राज. 6 राजकुमारी पुत्री श्यामसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता राजनवती पत्नि श्यामसिंह जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर 7 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. 1955
अधिवक्ता– 1 श्री पप्पूराम ––वादीगण

निर्णय दिनांक 25.02.2026

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 1221 रकबा 0.15 हैक्टे. वाके ग्राम छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें वादीगण वाहिस्सा बराबर 1/3 हिस्से के व शेष 2/3 हिस्से के तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 काविज काश्तकार एवं खातेदार है। वादीगण के हिस्से की आराजी की मौके पर चारों ओर से डौल मैड कदीमी बनी हुई है और वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करते हुए राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है। वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी में इस वर्ष सरसों की फसल बोई थी, जो वादीगण ने ही काटी व समेटी है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या की संयुक्त काश्तकारी एवं संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के मध्य नहीं हुआ है। परन्तु मौके पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण मनवट के आधार पर आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण के निहित हिस्से की आराजी से असल प्रतिवादी संख्या 1 का कोई संबंध व सरोकार किसी भी प्रकार से आज तक नहीं रहा है और ना ही वर्तमान में है। लेकिन असल प्रतिवादी संख्या 1 बहुत ही चतुर व चालाक, बेईमान किस्म का व्यक्ति है, जो अपने लटठ व ताकत के बल पर बेईमानी से वादीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुए जबरदस्ती वादीगण के निहित हिस्से की आराजी की डौल मैडों को तोडते हुए जबरन कब्जा कर वादीगण को उनके निहित हिस्से की आराजी से बेदखल करते हुए महरूम करने पर आमादा है। जबकि असल प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के निहित हिस्से की आराजी के बाबत कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी का कानूनी विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में कोई उपस्थित नहीं आया, जबकि उक्त की तामील हो चुकी थी। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लायी गयी।

हमने बहस पर उभयपक्ष अभिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी प्रारंभिक डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/2976 दिनांक 19.06.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर वादी वकील को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक/भू.अ./2025/2976 दिनांक 19.06.2025 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक 24.05.2023

प्रकरण संख्या 57 / 23

सीसीएमएस नं. 2023 / 126

1 तेजसिंह पुत्र निनुआ 2 रामप्यारी पत्नि निनुआ 3 हरवीर उर्फ हनवीर पुत्र निनुआ जाति जाट नि. छौंकरवाडा कला तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—वादीगण

बनाम

1 हम्मरसिंह पुत्र दौजी 2 दयालोदेवी पत्नि अमृतसिंह 3 राजनवती पत्नि श्यामसिंह 4 रोहताश 5 सुकेश पुत्रान श्यामसिंह जातियान जाट नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर राज. 6 राजकुमारी पुत्री श्यामसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता राजनवती पत्नि श्यामसिंह जाति जाट नि. छौंकरवाडा कला तह. भुसावर जिला भरतपुर 7 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. 1955
अधिवक्ता– 1 श्री पप्पूराम —वादीगण

डिक्री दिनांक 25.02.2026

तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 2976 दिनांक 19.06.2025 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस मे तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)